पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 42/2017 निर्णय दिनांक : – 07 – 2017

1– जगदीश पिता नानुराम मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
2– प्रेमचन्द पिता नानुराम मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
3– बद्रीलाल पिता जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
4– सन्तोषी पुत्री जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
5– प्रभुडी बेवा जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
6– राधेश्याम पिता बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
7– कामेरी बेवा बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
8– मंजु पुत्री बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
9– चेतना पुत्री बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

–– वादीगण

–: ब ना म :–

1– कवरलाल पिता गोकल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
2– राधेश्याम पिता गोकल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3– ओमाबाई पुत्री गोकल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
हाल मुकाम गाव बांगेरडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज.
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, रा.टे.एक्ट
बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1– रोहीताश्व पंचोली एडवोकेट –– अभिभाषक वादीगण
2– प्रतिवादी की तरफ से –– एक तरफा कार्यवाही

––: निर्णय :––

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि गा सेमरथली पटवार हल्का सेमरथली तहसील छोटीसादडी में आराजी सं. 389 रकबा 0.45 हेक्ट आ.सं. 390 रकबा 0.05 हेक्टर चाह, आ.सं. 391 रकबा 0.21 हेक्टर, आ.सं. 392 रकबा 0.1 हेक्टर, आ.सं. 393 रकबा 013 हेक्टर, आ.सं. 394 रकबा 0.13 हेक्टर, कुल किता 6 कुल रकब 1.12 हेक्टर स्थित हैं। उक्त आराजियात वादीगण के पुर्वज नानुराम पिता प्रथा मेधवाल व गोकल पिता प्रथा मेघवाल निवासियान सेमरथली के सयुक्त नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। नानुरा व गोकल दोनो सगे भाई थे जिने बीच उक्त आराजियात का आपसी बटवारा हो गया था जिसमें आराजी सं. 389 रकबा 0.45 हेक्टर व आ.सं. 390 रकबा 0.05 हे. जो चाह हैं, का 1/2 हिस्सा गोकुल के हिस्से में रहा तथा आराजी सं. 391, 392, 393 व 394 व आ.सं. 390 रकबा 0.05 हे. जो चाह हें का 1/2 हिस्सा नानुराम के हक व हिस्से में रहा। दोनो भाई बटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबीज होकर काश्त करते व आराजियात का उपयोग व उपभोग कर चाह से अपनी अपनी आराजी सिंचीत करते चले आ रहे थे।

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

नानुराम के देहान्त के बाद उक्त आराजियात नानुराम के वारीसान जोरजी, बंशीलाल, जगदीश व प्रेमचन्द के नाम पर दर्ज हुई जिस पर नानुराम के चारो लडके काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। गोकल पिता प्रथा मेघवाल ने अपनी आराजी सं॰ 389 रकबा 0.45 हेक्टर मय आम व बबुल के पेड के तथा आ.सं. 390 चाह का आधा हिस्सा नानुराम के पुत्रो जोरजी, बंशी, जगदीश व प्रेमचन्द को दिनांक 7–7–1987 को 40,000/ हजार रूपये में बेचान कर आ.सं. 389 रकबा 0.45 का पुरा कब्जा व आ.सं. 390 चाह का आधा कब्जा जोरजी, बंशी, जगदीश व प्रेमचन्द के सिपुर्द कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र पंजियन करा दिया। विक्रय पत्र में गोकल ने अंकित किया कि मेरी इन नम्बर में कोई जमीन शेष नहीं रही हैं। गोकल अपने हिस्से की सारी जमीन बेच कर धंदेरीया तहसील नीमच (म॰प्र॰) चजा गया तथा वहा दुसरी जमीन खरीद कर 20 साल से वही पर निवास करता रहा है।

वादीगण ने अपने वाद में आगे अंकित किया कि उन्होने क्रय सुदा आराजी का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये पटवारी को असल रजिस्ट्री दी थी। परन्तु पटवारी से रजिस्ट्री कहीं गुम हो जाने से व रजिस्ट्री नहीं मीलने से नामन्तरकरण नहीं खुल पाया व खाते में गोकल का नाम चलता रहा। गोकल के देहान्त के बाद उसके पुत्रो व पुत्री ने यानी प्रतिवादी सं॰ 1, 2 व 3 ने पटवारी से मिल–मुलाकर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया। जो गलत हैं। उपरोक्त वर्णीत सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उसमें गोकल व उसके वारीसान प्रतिवादी सं॰ 1 से 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं ना वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जबकि वादीगण सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजियात के मालीक व स्वामी होकर सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजियात पर काबीज होकर शान्ति पुर्वक बिना किसी अवरोध के काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिये वादीगण को सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषीत फरमाया जावे। वादीगण ने अपने वाद में यह भी अंकित किया कि वर्तमान में खाते में प्रतिवादीगण का नाम होने से वे उक्त आराजियात पर मदाखलत मजाहमत कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं व वर्तमान में जमीनो की किमते बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ जाने से वे वादीगण को जबरन बेदखल कर आराजियात को रहन व बेचान करना चाहते हैं इसलिये उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे की वे उक्त कार्य नहीं करे। वादीगण ने अपने अभिभाषक से एक सूचना पत्र धारा 80 सी.पी.सी. का मियादी दो माह का कलक्टर साहब प्रतापगढ़ को दिलवाया परन्तु उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया ना खाते से प्रतिवादीगण का वाद हटाया गया तथा ना सम्पुर्ण आराजियात वादी के नाम पर दर्ज की गई हैं। इसलिये यह वाद बाबत् घोषणा का व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी सं॰ 1 से 3 को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेज कर तलब किया गया, परन्तु प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 ने सम्मन लेने इन्कार कर दिया। तथा प्रतिवादी सं॰ 3 का सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से उसके पति जगदीश को मीला परन्तु बावजुद तामील दिनांक 27–6–2017 को न्यायालय मे हाजीर नहीं हुवे बार बार आवाजे लगाने पर व उनके न्यायालय में नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी जगदीश ने अपना शपथ पत्र व गवाह भंवरलाल पिता हरीराम जी जाति मेघवाल निवासी सेमरथली का शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर अपने बयान न्यायालय में लेखबद्व कराये हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, नई व पुरानी जमाबन्दी की नकल नकल नोटिस व पोस्ट की रसीद आदी पेश कर उन्हे प्रदर्शीत करवा कर वादीगण ने अपनी साक्ष्य बन्द की। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई मोखीक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वकील वादीगण की ओर की गई बहस अंतिम को ध्यानपुर्वक सुनी गई।

वादीगण की ओर से दोराने बहस वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यो व वादी जगदीश व गवाह भवरलाल के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे बताया कि आ॰सं॰ 389 का पुरा 0.45 हेक्टर रकबा तथा 390 जो चाह हैं का आधा हिस्सा गोकल के हिस्से में आया व आराजी सं॰ 391, 392, 393 व 394 का पुरा रकबा व आ॰सं॰ 390 चाह का आधा हिस्सा नानुराम के हिस्से में आया था, तथा उसी अनुसार वे उस पर काबीज चले

चले आ रहे थे। दिनांक 7–7–87 को गोकल अपनी आराजी 389 का पुरा रकबा 0.45 हेक्टर व 390 चाह का आधा हिस्सा जोरजी, बंशी, जगदीश व प्रेनचन्द को बेचान कर कब्जा दे दिया। वकील वादी ने न्यायालय का ध्यान प्रदर्श –1 विक्रय पत्र के अन्त में लिखे नोट पर भी दिलवाया जिसमें स्पष्ट अंकित हैं कि आ. सं. 389 रकबा 0.45 हेक्टर भाईबट में मेरे हिस्से में आई हैं जिस पर मैं अकेला काबीज चला आ रहा हूँ। द्वितीय पक्ष रिकार्ड में सह खातेदार हैं तथा मेरा हिस्सा उन्हीं सहखातेदार को विक्रय कर रहा हूँ इन नम्बरो में मेरा कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। जिससे स्पष्ट हैं कि गोकल के हिस्से में आई आ.सं. 389 का पुरा रकबा व 390 का आधा हिस्सा बेचान कर दिया परन्तु खाते में दाखील खारिज नहीं होने से जमीन गोकल के नाम चलती रही व गोकल के मरने के बाद उनके वारीसान ने मील मीला कर व पटवारी को धोखे में रख कर इन्तकाल अपने नाम खुलवा लिया। जबकि वादीगण उक्त सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजियात पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व आराजियात का उपयोग व उपभोग निरन्तर शान्तिपुर्वक बीना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं, जो प्रतिवादी सं. 1 से 3 की भली भाती जानकारी में हैं। वकील वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि गोकल के द्वारा अपनी जमीन जोरजी, बंशी, जगदीश व प्रेमचन्द को बेचान करना कवरलाल के भली भाती जानकारी में रहा हैं क्योकि कवरलाल ने अपने सहमती के हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर वक्त पंजियन किये थे। परन्तु अब जमीन की किमते बढ जाने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मन में खोट आ जाने से वे जबरन कब्जा कर जमीन को बेचान करना चाहते हैं इसलिये उन्हे निषेधाज्ञा से रोका जावे तथा वादीगण को सम्पुर्ण आराजियात का खातेदार काश्त कार घोषित किया जावे।

वकील वादीगण की ओर से की गई बहस को ध्यान पुर्वक सुन कर पत्रावली का भली भाती अवलोकन कर पत्रावली पर मोजुद आई साक्ष्य व दस्तावेजो का गम्भीरता पुर्वक परिसीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं की गाव सेमरथली में नानुराम, गोकल पिता प्रथा मेघवाल के नाम पर वादग्रस्त आराजियात स्थित थी। तथा उसका मोखिक बटवारा दोनो भाईयो में हो गया था। आराजी सं. 389 का पुरा 0.45 हेक्टर रकबा तथा 390 जो चाह हैं का आधा हिस्सा गोकल के हिस्से में आया व आराजी सं. 391, 392, 393 व 394 का पुरा रकबा व आ.सं. 390 चाह का आधा हिस्सा नानुराम के हिस्से में आया था, तथा उसी अनुसार वे उस पर काबीज चले आ रहे थे। दिनांक 7–7–87 को गोकल अपनी आराजी 389 का पुरा रकबा 0.45 हेक्टर व 390 चाह का आधा हिस्सा जोरजी, बंशी, जगदीश व प्रेमचन्द को बेचान कर कब्जा दे दिया था। जो प्रदर्श–1 विक्रय पत्र से स्पष्ट हैं। विक्रय पत्र प्रदर्श–1 के अन्त में लिखे नोट से यह भी स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजियात में से 389 का पुरा 0.45 हेक्टर रकबा व 390 का आधा हिस्सा गोकल के हिस्से में आया था जो उसने प्रदर्श –1 के द्वारा जगदीश, प्रेमचन्द, बंशी व जोरजी को बेचान कर कब्जा दे दिया था। गोकल ने प्रदर्श –1 में यह भी अंकित किया कि रेकार्ड में दर्ज इन नम्बरो में मेरा कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। जिससे स्पष्ट हैं कि गोकल ने अपना पुर्ण हिस्सा आ.सं. 389 का पुरा रकबा व 390 का आधा हिस्से के रूप में बेचान कर कब्जा दे दिया हैं। तथा उसके हिस्से की अब कोई जमीन वादग्रस्त आराजियात में नहीं बची है। इस बात की पुष्टी वादी जगदीश व गवाह भंवरलाल पिता हरिराम के बयानो से भी होती हैं। हरिराम स्वयं उक्त प्रदर्श –1 के पंजियन का गवाह हैं जो न्यायालय में किये गये अपने बयान में स्वीकार करता हैं कि गोकल ने अपनी पुरी आराजी सं. 389 व 390 का आधा हिस्सा बेचान कर कब्जा दे दिया था तब से आज दिन तक गोकल के हिस्से पर वादीगण काबीज होकर काश्त कर रहे है। यह गवाह यह भी कहता हैं कि कवरलाल भी यह बात भली भती जानता हैं क्योकि वक्त पंजियन वह भी पंजियन कार्यालय में मोजुद था व उसने अपनी सहमती के हस्ताक्षर विक्रयपत्र पर किये।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता गोकल ने अपने हिस्से की सम्पुर्ण आराजियात को प्रदर्श–1 के द्वारा बेचान कर कब्जा दे दिया हैं। जो प्रतिवादी सं. 1 की भली भाती जानकारी में हैं। परन्तु उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त जमीन का नामान्तरकरण जगदीश, प्रेमचन्द, जोरजी व बंशी के नाम पर नहीं खुल पाया व राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया, परन्तु वे उक्त विक्रय पत्र से आज भी स्वामी व मालीक हैं। तथा नामान्तरकरण नहीं खुलपाने से गोकल के वारीसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 बेचान की गई उक्त आराजियात के फीर से मालीक व स्वामी नहीं हो सकते हैं। गोकल ने अपना सम्पुर्ण हिस्सा पहले ही बेचान कर दिया हैं उसका कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में शेष नहीं हैं तथा

प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं, जिससे यह साबीत हो की वादीगण के द्वारा पेश सबुत व साक्ष्य गलत या विश्वास करने योग्य नहीं हो। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मोखीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डीत रही है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मोजुद नहीं हैं जिससे यह साबीत हो सके कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त बेचान की गई आराजियात के स्वामी होकर आराजी पर उनका कब्जा हो बल्की उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि आराजी सं. 389 रकबा 0.45 हेक्टर व आ.सं. 390 रकबा 0.05 हेक्टर वादी सं. 1 जगदीश, वादी सं. 2 प्रेमचन्द तथा उनके भाई मृतक जोरजी के वारीसान वादी सं. 3, 4 व 5 तथा मृतक बंशीलाल के वारीसान वादी सं. 6, 7, 8 व 9 के स्वामित्व व आधिपत्य की हैं तथा वे दिनांक 7–7–87 से बतोर स्वामी व मालीक के काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिये वादीगण उक्त सम्पुर्ण आराजियात आराजी सं. 389 रकबा 0.45 हेक्टर, आ.सं. 390 रकबा 0.05 हेक्टर चाह, आ.सं. 391 रकबा 0.21 हेक्टर, आ.सं. 392 रकबा 0.15 हेक्टर, आ.सं. 393 रकबा 013 हेक्टर, आ.सं. 394 रकबा 0.13 हेक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.12 हेक्टर वाके गाव सेमरथली के स्वामी व खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते हैं तथा साथ ही वादीगण, की ओर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर वादीगण को गाव सेमरथली की आराजी सं. 389 रकबा 0.45 हेक्टर, आ.सं. 390 रकबा 0.05 हेक्टर चाह, आ.सं. 391 रकबा 0.21 हेक्टर, आ.सं. 392 रकबा 0.15 हेक्टर, आ.सं. 393 रकबा 013 हेक्टर, आ.सं. 394 रकबा 0.13 हेक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.12 हेक्टर का स्वामी व खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उपरोक्त आराजियात पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नहीं करे वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे वादीगण को आराजी के उपयोग उपभोग में दखल पैदा नहीं करे ना ही उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन बेचान नहीं करे ना अन्य तरह से हतान्तरण करे। प्रतिवादी सं. 4 को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि वह गाव सेमरथली के राजस्व रेकार्ड मे से आराजी सं. 389, 390, 391, 392, 393, 394 कुल किता 6 कुल रकबा 1.12 हेक्टर मे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम हटा कर सम्पुर्ण खाता वादीगण के नाम पर दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करावे। वाद की परीस्थिती को देखते हुवे खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। उरोक्त अनुसार डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 – 07 – 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी